कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur-rj@gov.in_वेब–साईट joda.rajasthan.gov.in Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः एफ–37/जेडीए/ले–आउट प्लान/2024/(राजकाज सं. 01374) दिनांकः–**Signed date**

श्रीमती अरूणा परिहार पत्नी श्री जयसिंह परिहार
निवासी : राम सागर बेरा पूजंला,
जोधपुर।

विषय :– राजस्व ग्राम भवदवासिया के खसरा संख्या 75/8 रकबा 5171.89 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम भवदवासिया के खसरा संख्या 75/8 रकबा 5171.89 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 20/2024 वीं बैठक दिनांक 11.07.2024 में प्रस्तुत किया गया है। विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में समिति द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट www.joda.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

(प्रियंका चौपडा)
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

RajKaj Ref
9088958

Signature valid
Digitally signed by Priyanka Chopra
Designation : Assistant Town Planner
Date: 2024.07.19 16:20:22 IST
Reason: Approved

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2024/ **दिनांकः–**

–:कार्यवाही विवरणः–

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 20/2024 वीं बैठक दिनांक 11.07.2024 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–''1'' पर संलग्न है। बैठक के दौरान जोन–6 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की जोन–6 की 12/2024 वीं बैठक दिनांक 28.02.2024 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 01 (राजकाज सं. 2659) (बैठक दिनांक 11.07.2024) :–

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	191/01.05.2024
2.	आवेदक का नाम	श्री कालुराम पुत्र श्री धनाराम, श्री उदयलाल पुत्र श्री तेजपाल
3.	राजस्व ग्राम	भवाद
4.	खसरा संख्या	689/2, 689/17
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	15533 वर्गमीटर
6.	i. मास्टर/जोनल डवलपमेंन्ट प्लान 2031 के अनुसार भू–उपयोग	Knowledge And Health Care City
	ii. आवेदित भू–उपयोग मास्टर/जोनल प्लान अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं	As per general condition 16 of development control regulations "Farm houses, Eco-Friendly Houses, resort & Amusement park comes under Low Density Development Zone. Such activities shall be permissible in all land uses except Park, open spaces, playgrounds & plantation within urbanisable area of Jodhpur MDP-2031 as per prescribed norms, subject to condition that in future as development take place as per master plan use, the same will be used in accordance to the land use specified in MDP-2031. उपरोक्तानुसार Knowledge And Health Care City भू–उपयोग में फार्म हाउस अनुज्ञेय है।
	iii. जोनल डवलपमेन्ट प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्रभावित है अथवा नहीं	वर्तमान में उक्त क्षेत्र का जोनल डवलपमेंट प्लान बना हुआ नही है।
7.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	फार्म हाउस
8.	आवेदित भूमि का न्यूनतम 100 मीटर का सर्वे प्लान	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 35 पर संलग्न है।
9.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल प्लान की प्रमाणित प्रति (Coordinate सहित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है।
10.	सहायक नगर नियोजक/प्रारूपकार द्वारा पार्ट लैण्ड–यूज प्लान की प्रमाणित प्रति	राजकाज पत्रावली के पी.यू.सी 1/सी पर संलग्न है।
11.	प्रस्तावित ले–आऊट प्लान की प्रति (आवेदक व तकनिकीविज्ञ द्वारा प्रमाणित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 32 पर संलग्न है।

RajKaj Ref
9020020

Signature valid

Digitally signed by Priyanka Chopra
Designation : Assistant Town Planner
Date: 2024.07.19 11:44:42 IST
Reason: Approved

एजेण्डा संख्या 18 (राजकाज सं. 1374) (बैठक दिनांक 11.07.2024) :–

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक / दिनांक	178 / 15.02.2024
2.	आवेदक का नाम	श्रीमती अरूणा परिहार पत्नी श्री जयसिंह परिहार
3.	राजस्व ग्राम	भदवासिया
4.	खसरा संख्या	75 / 8
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	03.03.18 बीघा (5171.89 वर्गमीटर)
6.	i. मास्टर / जोनल डवलपमेंन्ट प्लान 2031 के अनुसार भू–उपयोग	आवासीय
	ii. आवेदित भू–उपयोग मास्टर / जोनल प्लान अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं	अनुज्ञेय है।
	iii. जोनल डवलपमेण्ट प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्रभावित हैं अथवा नहीं	नहीं।
7.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय योजना
8.	आवेदित भूमि का न्यूनतम 100 मीटर का सर्वे प्लान	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 30 पर संलग्न है।
9.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल प्लान की प्रमाणित प्रति (Coordinate सहित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 32 पर संलग्न है।
10.	सहायक नगर नियोजक / प्रारूपकार द्वारा पार्ट लैण्ड–यूज प्लान की प्रमाणित प्रति	राजकाज पत्रावली के पी.यू.सी 03 पर संलग्न है।
11.	प्रस्तावित ले–आऊट प्लान की प्रति (आवेदक व तकनिकीविज्ञ द्वारा प्रमाणित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 36 पर संलग्न है।
12.	जोन चैकलिस्ट की प्रति	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 46–47 पर संलग्न है।
13.	राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 43–44 पर संलग्न है।
14.	प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 40 पर संलग्न है।
15.	तकनिकीविद् / आर्किटेक्ट का विवरण व शपथ पत्र	मैसर्स एस.जे इन्जिनियर्स
16.	ले–आऊट प्लान का प्रकार	आवासीय योजना: **2 हैक्टेयर से कम** / 2–10 हैक्टेयर / 10 हैक्टेयर से अधिक
17.	सहायक नगर नियोजक / प्रारूपकार द्वारा किए गए क्षेत्र विश्लेषण / मानदण्ड आदि का विवरण	राजकाज पत्रावली के पैरा संख्या 09 व 47 पर संलग्न है।
18.	प्रस्तुत ले–आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण	

क्र. सं.	विश्लेषण बिन्दू	नियमानुसार मानदण्ड	ले–आऊट प्लान में प्रदर्शित	टिप्पणी
A.	योजना ले–आऊट प्लान में दर्शित कुल क्षेत्रफल	निर्धारित नहीं है।	4871 वर्गमीटर	अनुज्ञेय है
B.	जमाबन्दी अनुसार क्षेत्रफल (जोन चैक लिस्ट अनुसार)	5171.89 वर्गमीटर	4871 वर्गमीटर	अनुज्ञेय
C.	आवासीय क्षेत्रफल	अधिकतम 60 प्रतिशत	59.59 प्रतिशत	अनुज्ञेय है

RajKaj Ref
9020020

Signature valid
Digitally signed by Priyanka Chopra
Designation : Assistant Town Planner
Date: 2024.07.19 11:44:42 IST
Reason: Approved

	D.	ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी.एच. क्षेत्र	2 हे0 से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं हेतु आवश्यक	आवश्यक नही है	अनुज्ञेय है
	E.	वाणिज्यिक क्षेत्र / इन्फॉर्मल क्षेत्र	2 हे0 से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं हेतु आवश्यक	आवश्यक नही है	अनुज्ञेय है
	F.	सुविधा क्षेत्र (ओ.सी.एफ.)	M.T./S.W.M. का प्रावधान आवश्यक	0.76 प्रतिशत	अनुज्ञेय है
	G.	पार्क / खुला क्षेत्र / वृक्षारोपण	न्यूनतम 5 प्रतिशत आवश्यक	07.25 प्रतिशत	अनुज्ञेय है।
	H.	पहुंच मार्ग की चौड़ाई	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2020 अनुसार 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध होना आवश्यक है।	40 फीट	अनुज्ञेय है।

19.	ले–आऊट प्लान अनुमोदन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर टिप्पणी	जोन चैक लिस्ट अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।
20.	यदि पूर्व में उक्त प्रकरण ले–आऊट प्लान समिति में रखा गया है तो बैठक दिनांक एवं विवरण अंकित करें साथ ही बैठक कार्यवाही विवरण भी संलग्न करें।	नहीं
21.	प्रकरण के तथ्य : 1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग की डी.सी.आर. के तहत् 12 मीटर मार्गाधिकार पर आवासीय योजना अनुज्ञेय है। 2. जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को राजस्व ग्राम भदवासिया में खसरा संख्या 75 के पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान मे से 40 फीट पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। 3. प्रकरण में जमाबंदी अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 03.03.18 बीघा है जबकि राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट में 03.00.04 बीघा का अंकन है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक, जोविप्रा द्वारा 03.00.00 बीघा का खसरा सुपरईम्पोज किया गया है। 4. जोन चैकलिट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है एवं आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नही गुजर रही हैं। 5. प्रश्नगत भूमि का 90 / क का आदेश दिनांक 12.02.2024 को जारी किया गया है (पृष्ठ सं 45 पर सलंग्न है), जो यह दर्शाता है कि आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक पहुॅच मार्ग उपलब्ध है।	
22.	प्रकरण में अनुशंषा की जाती है। हाँ / ना ?	हां
23.	यदि बिन्दु संख्या 22 में ना है, तो उक्त का विवरण	–
24.	**निर्णयः–** **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध हो रहे 12	

RajKaj Ref
9020020

Signature valid
Digitally signed by Priyanka Chopra
Designation : Assistant Town
Planner
Date: 2024.07.19 11:44:42 IST
Reason: Approved

		मीटर (सडक के मध्य बिन्दु से 06 मीटर) की सुनिश्चितता की जावें। 2. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरांत किया जा सकेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 5. रेरा अधिनियम–2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 7. प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्रार्थी स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 8. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 9. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 10. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 11. आयोजना शाखा द्वारा नियोजन के दृष्टिगत दिये गए सुझावों एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समावेश करते हुए समिति द्वारा ले–आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। 12. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे आवेदक द्वारा शिफ्ट की जावें, उक्त की सुनिश्चितता उपरांत पट्टे बाबत् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर से की जावे। 13. आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नही होने की स्थिति में ही जोन स्तर से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें। 14. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लिया जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें। 15. प्रस्तावित ले–आउट प्लान के भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

RajKaj Ref
9020020

Signature valid

Digitally signed by Priyanka Chopra
Designation : Assistant Town Planner
Date: 2024.07.19 11:44:42 IST
Reason: Approved

जोधपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656135-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :– एफ49/90–क/जोन–06/2025/ दिनांक :– / /2025

अरूणा परिहार पत्नि श्री जयसिंह परिहार

निवासी– अनुजय भवन रामसागर बेरा पूंजला जोधपुर

विषय :– रहन रंखे गये भूखण्डो के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 75/8 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा 18 बिस्वांसी ग्राम भदवासिया का 90–क का आदेश दिनांक 12.02.2024 को जारी किया गया, जिसका ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 11.07.2024 को अनुमोदित किया गया है।

उक्त कॉलोनी में आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में रहन रखने हेतु एक रहननामा प्रस्तुत किया गया है जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृति किया जाकर भूखण्ड संख्या 19 व 20 तक कुल भूखण्ड 2 कुल क्षेत्रफल 405.45 वर्गमीटर को रहन रखा जाता है।

उपायुक्त (जोन–06)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.18 19:42:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17232333

"SHRI VIANAYAK NAGAR-II"
Layout Plan For Khasra No.75/8 Rev. Village Bhadwasia at Jodhpur

(RESIDENTIAL SCHEME)

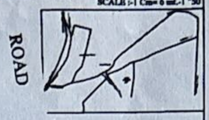

SCALE 1 Cm= 6 mt.-1"50

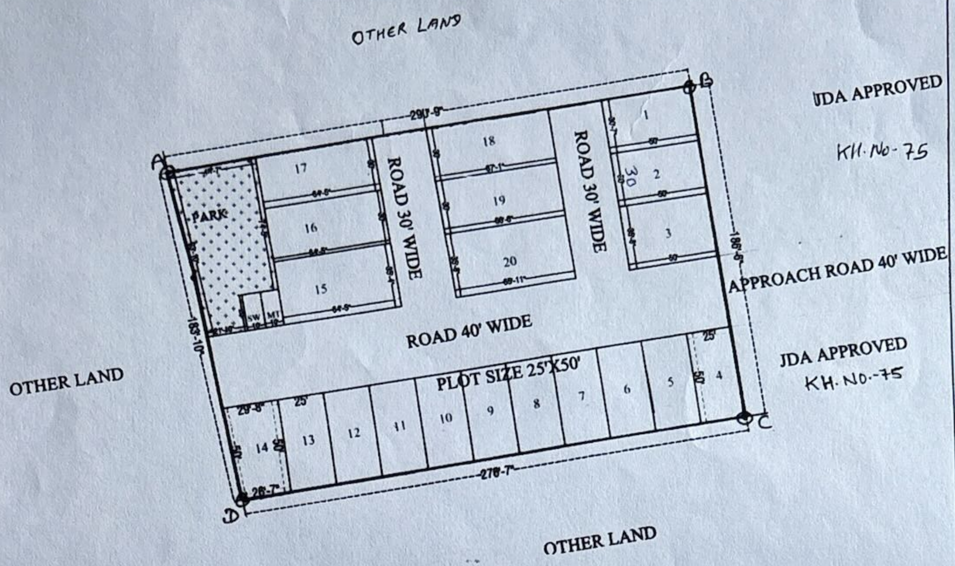

Aruna Parihar

Area Analysis

SR.NO.	LANDUSE	AREA (SQ.MTR.)	%
1	Plot Area	2902.56	59.59
2	SW/MT	37.16	0.76
3	Park	353.00	07.25
4	Road Area	1578.28	32.40
	Total Area	4871.00	100.00

सर्वे में दिनांक 18.01.24 को किये गये मौके सत्यापन Layout Plan से मिलान कर भुजाओं को मार्क A B C D अंकित कर सत्यापन किया।

05/7/24
शैतान सिंह
भू.अ. निरीक्षक (उत्तर)

For S. J. Engineers
S. J. Engineers
Proprietor

JDA/Dir(P)/Z-06/ 497 / 14/08/24

एजेण्डा संख्या 18 (राजकाज सं. 1374) (बैठक दिनांक 11.07.2024) :- जोन-06

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	178/15.02.2024
2.	आवेदक का नाम	श्रीमती अरूणा परिहार पत्नी श्री जयसिंह परिहार
3.	राजस्व ग्राम	भदवासिया
4.	खसरा संख्या	75/8
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	03.03.18 बीघा (5171.89 वर्गमीटर)
6.	निर्णय:- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-	

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध हो रहे 12 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 06 मीटर) की सुनिश्चितता की जावें।
2. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरांत किया जा सकेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।
5. रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
7. प्रस्तावित योजना मे जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्रार्थी स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
8. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति मे राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम मे नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र मे किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
9. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
10. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें।
11. आयोजना शाखा द्वारा नियोजन के दृष्टिगत दिये गए सुझावों एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानो को समावेश करते हुए समिति द्वारा ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
12. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे आवेदक द्वारा शिफ्ट की जावे, उक्त की सुनिश्चितता उपरांत पट्टे बाबत् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर से की जावे।
13. आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार मे निर्माण नही होने की स्थिति मे ही जोन स्तर से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।
14. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लिया जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।
15. प्रस्तावित ले-आउट प्लान के भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

25/07/24
सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण

29/7/24
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

30/7/2024
वरिष्ठ नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

30/7/24
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

13/8/2024
उपायुक्त (जोन-6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर